मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

कितना परिवर्तन लायेगी कांग्रेस यात्रा	3
ये मदारियों का लोकतंत्र है	4
क्या 'राजद्रोह' हटेगा ?	5
मोदी शासन : पांच साल-पंद्रह हत्याएं	6
एचसीएस परीक्षा का ड्रामा	8

वर्ष 32 अंक -21 फ़रीदाबाद 7-13 अप्रैल 2019 फोन - 9999595632 2.50 ₹

मिलीभगत से हुआ एसआरएस के अनिल जिन्दल की जमानत का रास्ता साफ

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

5 अप्रैल, 2018 से जिला कारागार, फरीदाबाद में बन्द फरीदाबाद और आस पास के क्षेत्रों की आम जनता तथा विभिन्न सरकारी बैंकों से लूटे गए हजारों करोड़ रुपये के महाघोटाले के मुख्य आरोपी एसआरएस ग्रुप के मुखिया अनिल जिंदल और उसके पांच अन्य सहयोगियों की जमानत का रास्ता अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश राजेश मल्होत्रा के रवैये से साफ होता दिखाई दे रहा है. इसके साथ ही उसके लेनदारों के पैसे साफ तौर पर डूबते नजर आ रहे हैं.

ज्ञात हो कि फरीदाबाद के प्रमुख बिल्डर एसआरएस ग्रुप के मालिकों ने गत लगभग 25 वर्षों के दौरान अरबों – खरबों का व्यापारिक साम्राज्य खड़ा कर लिया. अपने इस कार्य के लिए उन्होंने सब से पहले फरीदाबाद और उसके आस पास की जनता का विश्वास अर्जित किया और हजारों करोड़ रुपए मकानों, दुकानों, फ्लैटों, प्लाटों की बुकिंग के नाम पर तथा ऊँची दर से ब्याज देने का प्रलोभन देकर निवेशकों से एकत्र किये. इस कार्य में कदम-कदम पर विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी बैंकों का भी सहयोग उन्हें प्राप्त होता रहा और उन्हें हजारों करोड़ का कर्ज बिना किसी उपयुक्त गारन्टी के उपलब्ध कराया जाता रहा.

यह कर्ज बैंक अधिकारियों के द्वारा ऐसे ही नहीं दिया जाता था, बल्कि बाकायदा कर्ज की राशि का मोटा हिस्सा बैंकों के उच्च अधिकारियों की जेबों में भी जाता था. ऐसा कोई बैंक नहीं बचा जिसने इस ग्रुप की नामी, बेनामी और शैल कम्पनियों को मोटा कर्जा न दिया हो (इस बारे में मजदूर मोर्चा ने अपने

11–17 मार्च, 2018 तथा 18–24 मार्च, 2018 के अंक में विस्तार से जानकारी दी थी कि ग्रुप के कर्ता-धर्ताओं ने किस प्रकार से लगभग 7,000 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न बैंकों से कर्ज के रूप में प्राप्त की और बाद में उसे वापिस करने से इन्कार कर दिया).

नवम्बर 2015 में एसआरएस ग्रुप के कर्ता-धर्ताओं ने आम जनता, निवेशकों तथा बैंकों आदि से लिया गया कर्ज वापिस करने से इन्कार कर दिया. विरोध में तमाम लोगों ने समय समय पर अनेकों स्थानों पर धरना, प्रदर्शन किये. मोदी सरकार, खट्टर सरकार और पुलिस अधिकारियों सहित अनेकों अधिकारियों को इस सार्वजनिक लूट-खसोट और धोखाधड़ी पूर्ण कार्यों में कानूनी कार्यवाही करने के लिए अनेकों ज्ञापन, प्रार्थना पत्र आदि दिए, किन्तु ईमानदारी का दम भरने वाली खट्टर सरकार के अधिकारियों के कानों पर जूँ तक नहीं रेंगी।

इन घोटालेबाजों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करना तो दूर, मोदी सरकार में मन्त्री फरीदाबाद के सांसद कृष्ण पाल गूजर तथा खट्टर सरकार में मन्त्री विपुल गोयल ने आम जनता और निवेशकों का साथ देने के स्थान पर अनिल जिंदल और उसके गिरोह के सदस्यों का कदम कदम पर साथ दिया और उनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं होने दी. साथ ही उस समय के फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त हनीफ कुरैशी के बारे में तो बताया जाता है कि उनके पास मोटी रकम इन घोटालेबाजों के यहाँ से जाती थी. बदले में हनीफ कुरैशी ने उन्हें पूर्ण अभय दान दिया हुआ था. इस महाघोटाले के चलते कई लोगो ने आत्महत्या तक कर ली किन्तु फिर भी कुरैशी का पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मौन बना रहा.

इस दौरान लोगों के लगातार विरोध प्रदर्शनों के चलते अनिल जिन्दल और उसके शातिर सहयोगियों ने मामले को कुछ शांत रखने के उद्देश्य से एक तरीका निकाला. अनिल ने एक फर्जी कम्पनी का गठन किया और ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में उसके खाते खोल कर वहाँ से अप्रैल / मई 2016 में लगभग 5,500 चैक जारी करवा लिए और उन चैकों पर आगे की तारीखें डाल कर आम जनता को देना प्रारम्भ कर दिया ताकि यह लगे कि वह लोगों की जमा-पूँजी उन्हें वापिस देने का इच्छुक है. लेकिन फिर भी लोगों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा था क्योंकि लोगों को दिए गए चैक बैंकों से वापिस होने शुरू हो गए और उन्होंने इस घोटाले के विरोध में संगठित होना प्रारम्भ कर दिया. खास बात यह और रही कि इस प्रकार जो हजारों की संख्या में चैक जारी किये गए, वह सभी अनिल जिंदल के एक व्यक्तिगत सुरक्षा कर्मचारी तिगाँव निवासी देवेन्द्र अधाना द्वारा हस्ताक्षरित थे, ताकि चैक वापिस होने की सूरत में अनिल जिन्दल और उसके परिजनों सहित उसके गिरोह के अन्य प्रमुख लोग कानूनी कार्यवाही से पूरी तरह बचे रह सकें.

उक्त घोटालेबाजों के हाथों लुटे पिटे लोगों की आवाज को तब दम मिला जब जनवरी 2018 में अचानक ही फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त हनीफ कुरैशी का यहाँ से तबादला हो गया और अमिताभ सिंह ढिल्लों ने फरीदाबाद के नए पुलिस आयुक्त का पद भार संभाला. अमिताभ सिंह ढिल्लों पूर्व में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) में रह चुके थे और उनकी छवि एक सख्त और ईमानदार अधिकारी की रही है. एसआरएस ग्रुप के हाथों लुटे पिटे अनेकों पीड़ित निवेशकों ने उनके सामने अपना दु:ख दर्द बयान किया, जिस पर उन्होंने पिछले दो वर्षों से रद्दी की टोकरी में पड़ी हुयी आम जनता की सैकड़ों शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए एसआरएस ग्रुप के प्रमुख कर्ताधर्ताओं के विरुद्ध तुरन्त एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए. इनमें प्रमुख थे- अनिल जिन्दल, जे. के. गर्ग, सुनील जिन्दल, प्रतीक जिन्दल, बिशन बंसल, नानक चन्द तायल, विनोद गर्ग उर्फ मामा तथा देवेन्द्र अधाना. 4 मार्च 2018 को FIR दर्ज होते ही सभी आरोपीगण फरीदाबाद छोड़कर भाग गए.

इसी मध्य इनमें से जे. के. गर्ग, सुनील जिन्दल तथा प्रतीक जिन्दल तो देश भी छोड़कर भाग जाने में सफल हो गए. बाकी के पाँचों आरोपियों - अनिल जिन्दल, बिशन बंसल, नानक चन्द तायल, विनोद गर्ग उर्फ मामा तथा देवेन्द्र अधाना को 5 अप्रैल, 2018 की सुबह दिल्ली के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नजदीक स्थित एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया. यह सभी आरोपी भी मौका लगते ही देश छोड़कर भागने की कोशिश में थे. उक्त सभी आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 120 बी (अर्थात धोखाधड़ीपूर्ण कृत्य, गबन, फ्रॉड, जालसाजी तथा आपराधिक षडंयन्त्र रचना) के साथ साथ The Haryana Protection of Interest of Depositors in Financial Establishment Act, 2013 (H.P.I.D.F.E. Act) की धारा 3 लगायी गयी. उपलब्ध जानकारी के अनुसार H.P.I.D.F.E. Act की धारा 3 के तहत चलाये गए मुकदमों की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय से नीचे की अदालत में नहीं हो सकती, अत: अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश राजेश मल्होत्रा की अदालत में अधिकतर मुकदमों की सुनवाई तय हुयी. आरोपियों के विरुद्ध मुकदमों की अधिकता के कारण इनमें से कुछ मुकदमों में आरोपियों पर अभियोग लगाये जाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो कुछ में अभी भी विचाराधीन है. कुछ मुकदमों में तो अभी तक पुलिस के द्वारा जांच की प्रक्रिया भी प्रारम्भ नहीं हो पाई है.

शेष पेज दो पर

शत्रुघन सिन्हा के बाद अदालत के पास डीजीपी बनने गए प्रभात रंजन देव

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

हरियाणा के डीजीपी पद की दौड़ में वरिष्ठ होने के बावजूद पिछड़ने वाले प्रभात रंजन देव फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट की शरण में पहुँच गए हैं। ज्ञात रहे कि पिछले महीने उन्हें ही क्या राज्य के आधा दर्जन अन्य वरिष्ठ पुलिस अफसरों को दरकिनार कर खट्टर सरकार ने मनोज यादव को 17 वर्ष पुरानी प्रतिनियुक्ति से वापस बुलाकर प्रदेश का डीजीपी लगा दिया था।

जाहिर है इस कदम से अनुशासन और वरिष्ठता के ढाँचे पर आधारित पुलिस बल में असंतोष भरा हुआ है। चर्चा है कि मनोज यादव, जो आईबी में कार्यरत थे, का चुनाव मोदी के एनएसए अजित डोभाल के इशारे पर हुआ है। यह भी जगजाहिर है कि संघ (आरएसएस) की हाँ के बिना खट्टर ऐसा फैसला नहीं ले सकते हैं। दिलचस्प पहलू यहाँ यह है कि यही डोभाल और संघ प्रभात रंजन देव को कब का डीजीपी बनवा रहे होते यदि शत्रुघन सिन्हा ने मोदी से रार न ठानी होती। ज्ञात रहे कि बिहार निवासी देव, बिहारी बाबू शत्रुघन सिन्हा के पुराने समय से खासमखास रहे हैं।

यहाँ तक कि यादव को डीजीपी चुनने के लिए तमाम वरिष्ठ अफसरों को उस पैनल से बाहर किया गया जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यूपीएससी से तैयार कराया गया। मनमाने तरीके से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करते हुए उन सभी अफसरों को पैनल से बहार रखा गया जिनका सेवाकाल दो वर्ष से कम रह गया था। हार कर प्रभात रंजन देव ने पुलिस सुधार की याचिकाएं डालने के लिये मशहूर पुलिस अधिकारी प्रकाश सिंह की मार्फत सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण हासिल कराया कि छ: माह से अधिक की सेवा वाले हर वरिष्ठ अधिकारी को पैनल के लिए योग्य माना जाए।

लेकिन मोदी और खट्टर जैसी भाजपा सरकारों में नियम-कायदों को मानने का चलन कम ही है। लिहाजा, सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण और देव के हरियाणा सरकार और यूपीएससी से गुहार के बावजूद वे सभी सोने का नाटक करते रहे। हार कर देव को दिल्ली हाईकोर्ट में रिट डालनी पड़ी है जहाँ से हरियाणा सरकार और यूपीएससी को नोटिस जारी हो चुका है। यह भी तय है कि यूपीएससी से डीजीपी का नया पैनल बनाने को कहा जाएगा। उस हालत में मौजूदा डीजीपी यादव तो पैनल में शामिल होने के पात्र भी नहीं होंगे।

चुनाव सर पर हैं, प्रदेश में गत सितम्बर में बलजीत संधू के रिटायर होने के बाद से, नियमित डीजीपी न लग पाने से कानून व्यवस्था का भगवान् ही मालिक रहा है। अब, देव की रिट से पुन: अनिश्चितता का माहौल छा गया है। पर न खट्टर को जल्दी है, न संघ को और न एनएसए को। प्रदेश की जनता भुगतती है तो भुगते; राज्य की पुलिस नियमित डीजीपी के इन्तजार में दिशाहीन बनी रहे तो इनकी बाला से।

हरियाणा संघ प्रधान पवन जिंदल का भाई मदन भी बड़ा घोटालेबाज़ है

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

10 से 16 मार्च के अंक में '**आरएसएस के हरियाणा चीफ़ ने ठगे 250 करोड़, पवन जिंदल के घर की महिलाएं फ़रार**' शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर न तो घोटालेबाज़ पवन की कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया आई और न ही संघ की ओर से। हां, इस परिवार द्वारा ठगे व लूटे गये लोग़ो की बड़ी संख्या में फ़ोन जरूर आये। ऐसे ही कुछ लोग़ों ने पवन के बड़े भाई मदन की जायदादों व घोटालों का विवरण भेजा है।

मदन जिंदल ने स्टेट बैंक ऑफ़ इन्डिया, केनरा बैंक व इलाहाबाद बैंक से 50-50 करोड़ का कर्ज लिया था। अब न तो यह ब्याज दे रहे हैं न ही मूल चुका रहे हैं। अपनी कम्पनियों का जो स्टॉक गिरवी दिखाया था उसकी कीमत आज निल है। जायदादें जो दिखाई थीं वे अपने समधी निर्मल मिंडा को बेची दिखा दी हैं। साधारणतया कोई भी बैंक इतना मूर्ख नहीं होता जो इस तरह की कच्ची जमानतों पर इतने भारी-भरकम कर्ज़ दे-दे। इस तरह के फ्रॉड बैंकों के उच्चाधिकारी सरकारी संरक्षण में ही करते हैं। अपने सभी खातों को एनपीए कराने के बाद अब मदन दीवालिया घोषित होने की प्रक्रिया की ओर बढ रहा है। इस प्रक्रिया में बैंकों को मूल पूंजी का एक चौथाई भी नहीं मिल पायेगा, ब्याज आदि तो गया भाड़ में।

बैंकों के अलावा सैंकड़ों करोड़ रुपया इन्होंने आम लोग़ों से भी ले रखा है। कच्चे

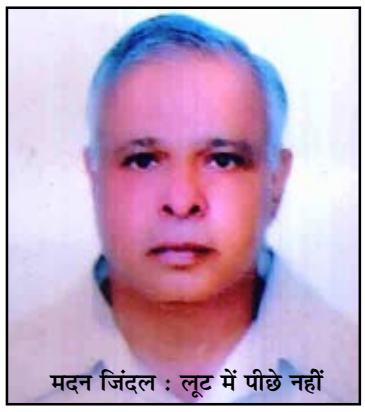

मदन जिंदल : लूट में पीछे नहीं

की रकम तो छोड़िये पक्के की रकम भी लौटाने को तैयार नहीं हैं। तकादेदार का न तो फ़ोन उठाते हैं और न ही मिलते हैं। इन लेनदारों से बचने के लिये खट्टर सरकार ने सरकारी खर्चे पर अच्छी-खासी पुलिस मुहैया करा रखी है। इसी पुलिस संरक्षण में मदन जिंदल अपने गुड़गांव सेक्टर 15-पार्ट दो के आलीशान महल में रहता है जहां तीन-चार लोग़ों के परिवार की सेवा के लिये 18 नौकरों की फ़ौज रहती है। घूमने-फ़िरने के लिये चार कारों में से कोई डेढ़ करोड़ से कम की नहीं है। दो-चार छोटी-मोटी गाड़िया नौकरों के लिये अलग से हैं।

जनता के पैसे पर राजसी ठाठ-बाठ एवं शाही जीवन शैली जीने वाले मदन ने ठगी के पैसे से जो जायदादें खड़ी कर ली हैं उनका कुछ विवरण जो '**मज़दूर मोर्चा**' को मिल पाया है, वह इस प्रकार है:

1. ज़िला रिवाड़ी के गांव पियावास और बलियावास में 100 एकड़ ज़मीन।

2. बिहार में 30 एकड़ ज़मीन और उस पर बना वेयर हाउस।

3. राष्ट्रीय राजमार्ग 8 (दिल्ली-जयपुर)पर स्थित अपनी ज़मीन को 40 करोड़ में अपने ही समधी निर्मल मिंडा को बेचा दिखा कर काले धन का शोधन किया।

4. ऐसे ही गत वर्ष मानेसर स्थित एक फ़ैक्ट्री 50 करोड़ में मिंडा को बेची।

5. दिल्ली रोहिणी के पॉश इलाके में 4 एचआईजी फ्लैट्स।

6. दिल्ली के ही रोहिणी व गांधीधाम क्षेत्र में जिंदल निर्यात लि. नाम से फैक्ट्री।

7. इसके अलावा राजस्थान, यूपी में कृषि भूमि, मानेसर व रोहिणी में अनेकों रिहायशी प्लॉट, नाभा (पंजाब) में वेयरहाउस, गुड़गांव के सुशांत लोक में रिहायशी व कमर्शियल प्लॉट, पुणे (महाराष्ट्र) में 3 बड़े फ्लैट व एक फैक्ट्री, 2 बड़े फ्लैट्स द्वारका (दिल्ली) में, 30 एकड़ ज़मीन सोहना में, हीरा महल के नाम से एक भव्य कोठी नाभा में, बद्दी में एक फ़ैक्ट्री, बावल में एक फ़ैक्ट्री 15 एकड़ के भूखंड पर, एक बड़ा फ्लैट पंचकुला में।

नाभा का मूल निवासी मदन कुछ वर्ष पूर्व ही काम-धंधे की तलाश में गुड़गांव आया था। यहां इसने हाइवे पर एक ढाबा खोला

शेष पेज तीन पर